



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



SANCTION OF INTAKE FROM AFFILIATING UNIVERSITY / STATUTORY BODY

S.NO	DOCUMENT	LINKS
1	Sanction of intake from affiliating university (AKTU)	View
2	Statutory Body (AICTE)	View

Director

Accurate institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



AFFILIATION APPROVAL LETTER FROM UNIVERSITY (2018-23)

Director
Accurate institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2018-19



To,

The Director,

ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR, PLOT NO -49,
KNOWLEDGE PARK-III,

Subject: Regarding Provisional Affiliation for the Academic Session 2018-19

Sir/Madam,

In relation to the above mentioned subject, I am directed to inform that the session by All India council for Technical Education, New Delhi, on the basis of the recognition granted to your institute for 2018-19, the recommendations made after consideration by the University Affiliation Committee / Affiliation Review committee of Uttar Pradesh Government and Government order no.2012/ sixteen -1-2018-13 (1) issued in continuation of these recommendations 2018 dated 15.05.2018, in anticipation of approval from the Honorable Executive council under section 23 (2) of the Uttar Pradesh Technical University Act

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Approved Intake	COA/PCI INTAKE	Affiliation intake Approved
B.Tech	Civil Engg	Shift I	120	120	0	120
B.Tech	Computer Science and Engg	Shift I	180	180	0	180
B.Tech	-	Shift II	60	60	0	60
B.Tech	Electrical & Electronics Engg.	Shift I	60	60	0	60
B.Tech	Electronics and Communication Engg.	Shift I	60	60	0	60

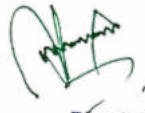


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

B.Tech	Information Technology	Shift I	60	60	0	60
B.Tech	Mechanical Engg.	Shift I	180	180	0	180
MBA	MBA	Shift I	60	60	0	60
MCA	MCA	Shift I	60	60	0	60

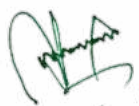
The University gladly approver's temporary affiliation, for the academic session 2018-19 under the self-financed scheme, the above temporary affiliation is subject to the following conditions:-

1. All India council of Technical Education, New Delhi Dr. A.P.J Abdul Kalam Technical Building, and infrastructure Land determined by the university facilities prescribed by the institute, teaching/ curriculum prescribed for the course, equipment prescribed for laboratory, faculty ratio, anti sagging and inspection of the institute by the board of inspector of the University. It will be mandatory to complete the shortcomings /standards shown in the above. Otherwise, the temporary affiliation granted to the institution will automatically be considered cancelled, the entire responsibility for which will be on the institution management itself.
2. Along with the verification of the infrastructure facilities and appointed teachers by the inspection board, the audit of the accounts of the inspection is also done by the university. Can be at any time in University.
3. Institutions Running B. Pharma /M.Pharma/ B.Arch/ M.Arch courses are approved by pharmacy council of india and council of Arch. Fulfillment of standards set for conducting courses through architecture and also obtaining approval for a particular session from the concerned council will be mandatory. In case of not meeting the standards set by the institute and AICTE and PCI/COA (as applicable) in case of taking admission more than the permissible admission capacity, the temporary affiliation given by the University to the institute will automatically be considered cancelled, the entire responsibility of which will be of the institute/ management itself.
4. The institute will ensure compliance with the guidelines regarding admission /fees issued from time to time by the Department of Technical education, Government of Utter Pradesh /Dr. A.P.J.Abdul Kalam Technical University. Utter Pradesh and only the fees allowed by the fee fixation committee as per rules will be charged from the admitted students will take. Also, the information required by the government /University related to the institute's teaching- training is available to them in a timely manner will get it done. If the institute fails to meet the above mentioned requirements, action will be taken to reduce or terminate the privileges of affiliation.
5. After the institution gets affiliation, if any kind of error comes to the notice of the government/university in the information/details filled by the institution at the time of online application and non-payment of affiliation fee and number of seats, then the institution The false affiliation granted will automatically be considered cancelled and the entire responsibility will be on the institute itself.


 Director
 Accurate Institute of Management & Technology
 Greater Noida



6. 6. The institution will ensure that the provisions mentioned in Chapter 6 (Affiliation) of the First Regulation 2010 of UP Technical University promulgated in the University are followed, otherwise action will be taken to terminate the affiliation.
7. 7. The institute will complete the appointment of teachers and directors/principals holding prescribed qualifications in the required number as per the standards of the regulatory body in relation to the intake capacity permitted to it by the regulatory bodies before August 1, 2018. Also, all the records related to the list and selection of these teachers will be presented to the University and a notarized affidavit will have to be given to the effect that they have fulfilled all the required standards as per rules. A large number of teachers have been appointed. If any error, fabrication/discrepancy is found in their independent verification by the University, then the temporary affiliation given to the institute will automatically be considered cancelled, the entire responsibility of which will be on the institute itself.
8. 8. After the commencement of the session, if the post of Director/Principal of the institution becomes vacant, then within three months from the date of vacancy, the selection process should be completed and the vacant post should be appointed and the information must be given to the University. (Regulation 6.15)
9. 9. Any teacher mentioned in the list given by the Institute regarding teachers working in the University before the commencement of 2018-19 will not be removed from service during the session without the written permission of the University.
10. In case of teachers working in the institution leaving the institution after the commencement of the session, the University must be informed within 15 days (working days).
11. Please inform. (Regulation: 6.18)
Salaries of teaching and non-teaching staff will be drawn regularly. In case of otherwise, as per the rules of the University Action will be taken. (Regulation: 6.25B)
12. Complete details of the lab and its equipment should be displayed on the notice board and website of the institution and its information should be published by the university.
13. All the information of the institution should be displayed on the notice board, website of the institution and its information must also be informed to the university. (Regulation: 6.16)
14. 14. The institution will definitely publish the information about the fees charged by the students on its website and on the notice board of the institution. Its information will be made available to the university, otherwise appropriate action will be considered against the institution.
15. In case the recognition of All India Council for Technical Education is terminated or canceled or withdrawn, this will be the matter of affiliation. The approval will be automatically cancelled.
16. Permission letter of recognition for the session 2018-19 from the concerned regulatory organization Pharmacy Council of India/Architecture Council of India (as applicable) for all the courses of these disciplines to the institutions related to the teaching and training of the disciplines of Pharmacy and Architecture, called for admission. This will have to be compulsorily made available to the University before the counseling of the State Entrance Examination. In case the recognition order is not received, the temporary affiliation given to the institutions will automatically be considered cancelled. In case of not getting recognition from the concerned regulatory body, the institute will not be able to give admission to any new student in the courses of Pharmacy and Architecture in the session 2018-19, neither through counseling on its own nor directly on the vacant seat or on the managerial seat in the particular course. The institute itself will be responsible for these circumstances.


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



17. Surprise inspection of the institute can be done by the University at any time during the academic session and in such surprise inspection In view of shortcomings in relation to the prescribed standards, action can be taken to terminate the affiliation.
18. If any inspection or investigation is conducted or any notice is issued by the government or university level regarding the AICTE and university standards, then the affiliation of the concerned institutions will be subject to the corresponding action.
19. Admission by the Institute in Uttar Pradesh Educational Institutions (except the fee prescribed under the Reservation Act, 2006 for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, admission standards prescribed by the University, and as per rules for Scheduled Caste/Tribe students) In case of non-compliance with the provisions of the State Government's mandate regarding non-charging of such fees, the affiliation will be terminated. Action will be taken.
20. The institute will ensure compliance with the mandates/orders issued from time to time by the government/university regarding fee reimbursement for students of various cadres. If the institute disobeys these orders, then action will be taken to terminate their affiliation.
21. The institute should ensure that the newly admitted/studying students in the institute are charged the same fee as has been prescribed in the fee assessment. On complaint of taking any other kind of fee/donation, the university may terminate the affiliation of the institution and Action will be taken to blacklist the institution. , Circular No. U.P.P.V./KUS. issued by the University regarding AMS (Academic Monitoring System)
22. No./2014/4414-21 dated 11.07.2014 will be mandatory.
23. It will be the responsibility of the institute to ensure that the teachers and non-teaching staff of the institute fulfill the responsibilities given by the university for academic and examination related work. It will be the responsibility of the institute to immediately appoint teachers or non-teaching staff. Will ensure relief from work. If this is not possible due to certain reasons, it will be necessary for the institute to obtain approval from the University.
24. Low number of students registered in courses in the last academic session, less number of qualified teachers available than the required number as per the standards and Due to low examination results of registered students, the affiliation of a certain percentage of the approved admission capacity of certain institutions has been postponed for the session 2018-19. These will be reviewed by the University before reviving or modifying them before issuing the affiliation for the upcoming session 2019-20.
25. Calculation of pending capacity of affiliation of a particular course Value of column 7 in position 5 or 6 (as applicable) of the table of affiliation details can be obtained by subtracting.
In case of deviation in compliance with the above mentioned conditions or any shortcomings are found during the surprise inspection of the institution, the status affiliation of the institution will automatically be considered cancelled. The entire responsibility of which will be of the institution/management system.

(This is a true copy of certified translation verified me)

Kavita

Translated By: - Dr. Kavita Dhawan, Professor (Dept. of English)

Verified By: - Dr. Yogesh Bhomia, Director

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



College Code 225

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

Accurate Institute of Management & Technology, Gautam Buddh Nagar
PLOT NO-49, KNOWLEDGE PARK-III

विषय: शैक्षिक सत्र 2018-19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2018-19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2012/सोलह-1-2018-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2018 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन, की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Approved Intake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	120	120	0	120
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	180	180	0	180
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60	60	0	60
B.Tech	Electrical & Electronics Engineering	Shift I	60	60	0	60
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	60
B.Tech	Information Technology	Shift I	60	60	0	60
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	180	180	0	180
B.A	MBA	Shift I	60	60	0	60
MCA	MCA	Shift I	60	60	0	51

स्वयं चिन्तित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैंकिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म/बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय पर उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता प्रमाणों में त्रुटि न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 01 अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अनिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र स्थापन में कोई त्रुटि, कुटर्चना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कायम। (विनियम 6.15)
9. सत्र 2018-19 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
11. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी)
12. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित कराये। (विनियम: 6.13)
13. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (विनियम: 6.16)
14. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चर्या की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2018-19 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सम्बन्धित नियामक संस्थान से मान्यता अप्राप्त की दशा में संस्थान फार्मसी तथा वास्तुकला के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रवन्धकिय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
18. जिन संस्थानों की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण, अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बन्धन सत्र 2018-19 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
25. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तंभ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमिया पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रवन्धक का होगा।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

209.

विवरण



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2019-20



College Code 225

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

Accurate Institute of Management & Technology, Gautam Buddha Nagar

Plot No.- 49, Knowledge Park-III, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019-20 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1538/सोलह-1-2019-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन ग० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	MCTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60	60		60
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	180	180		180
B.Tech	Electrical & Electronics Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	Information Technology	Shift I	60	30		30
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	120	120		120
MBA	MBA	Shift I	60	60		60
MCA	MCA	Shift I	60	60		60

उपर्युक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रेगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी फार्म/एम फार्म/बी आर्क./एम आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावशिव एवं भी से आई/सी जी ए (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा पत्र/सूचना के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सुचनाएं/सूचनाएं समय से उपलब्ध करायेंगी। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने/अवकाश

15/5/19

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की बृद्धि शासन/विश्वविद्यालय के सजान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित 30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-5 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा धनन स सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र स्थापन में कोई बृद्धि, कूटरचना/ विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 - कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2019-20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
 - सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर धनन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (विनियम- 6.15)
 - सत्र 2019-20 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के सवक्ष में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
 - सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम- 6.18)
 - शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम- 6.25बी)
 - लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत करायें। (विनियम- 6.13)
 - संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत करायें। (विनियम- 6.16)
 - संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य वरषा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
 - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रस्थापित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
 - फार्मैसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राज्य शासन नियामक संगठन फार्मैसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (दिल्ली) से सत्र 2019-20 हेतु मान्यता प्राप्त अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मैसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2019-20 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम शिक्षण में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रवन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 - जिन संस्थानों की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
 - संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उन रिवाज न मानकर सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के सम्बद्धता समाप्त

करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।

23. AMS (Academic Monitoring System) के संचालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 3020/प्रौद्योगिकी/कुस0/अग0/2014/4414-11 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बन्धन सत्र 2019-20 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

11

(गुनद केशव सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्यसचिव, गा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2020-21

College Code 225

लेख में
निदेशक/प्राचार्य,

ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No.- 49, Knowledge Park-III, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar

विषय शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
नई दिल्ली/महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मस काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 2 के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 20-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	180	240	0	240
Bachelor of Technology	Electrical & Electronics Engineering	Shift I	60	30	0	30
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	MCA	Shift I	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, कैंकटो अनुपात रेगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के स्थापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी फार्म/एम फार्म/बी आर्क/एम आर्क पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों का फार्मस काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण एवं संचालित कार्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावावस्था में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।

सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमत्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना को समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को क्रम क्रम अन्तर्गत समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के सज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अर्थात्-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 10 सितम्बर, 2020 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटिफिकेशन शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अतिवृद्धि/तवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम 6.15)
10. सत्र 2020-21 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम 6.25बी)
13. जैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य सम्पन्न की जायेगी इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसायिक नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2020-21 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उचित औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न सत्रों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में पुनः सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्र10वि0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2020-21 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) को धरा कर प्राप्त जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औद्योगिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2021-22



College Code 225

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,

ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No.- 49, Knowledge Park-III, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आपके संस्थान की प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(1) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वयित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	60	60	0	18
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	240	240	0	240
Bachelor of Technology	Electrical & Electronics Engineering	Shift I	30	30	0	0
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	60	60	0	60
Master of Computer Applications	MCA	Shift I	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निधारण भूमे, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फेकल्टी अनुपात, रैकिंग निरोधक तथा मानकानुसार फेकल्टी की न्यूनता को 01 माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं संचायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।

- स्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क की सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विद्यमान सार्वजनिक अनुमत्य परीक्षा ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना का समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता सम्बन्धी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के सज्जान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनका द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अग्न्युद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2021-22 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम 6.15)
10. सत्र 2021-22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करे। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मैसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसायिक नियामक संगठन फार्मैसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2021-22 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त होने की दशा में फार्मैसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021-22 में किसी भी नये छात्र का पाठ्यक्रम विषय में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रत्यक्षीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों/आदेशों का

अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0 का10/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2021-22 हेतु स्थागित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2021 प्रस्तुत किया जाएगा।

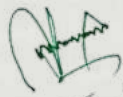
En उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धनकर्ता का होगा।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2022-23



पत्रांक-ए0कं0टी0यू0/कुस0का10/स0वि0/2022/17279 (225)

दिनांक 23 सितम्बर, 2022

College Code 225

संबा में
निदेशक/प्राचार्य,

ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No.- 49, Knowledge Park-III, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar

विश्व शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

प्रति सम्बन्धित,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आपके संस्थान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई सस्तुतियों एवं इन सस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासन क्रम 1794/सोलह-1-2022-13(01)/2018 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा10 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त में प्रस्तावित अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Int. Approved
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	240	240	0	240
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Computer Applications *	MCA	Shift I	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	60

उपर्युक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा10 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मान्यता, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मान्यता/पाठ्यक्रम/प्रमाणिका आदि, निर्धारित तकनीकी शिक्षा परिषद/काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विश्वविद्यालय हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अमातशिप/प्रमाणिका/सी.आर.सी. (यथा लागू) के द्वारा अनुमति प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधन का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मों काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विश्वविद्यालय हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अमातशिप/प्रमाणिका/सी.आर.सी. (यथा लागू) के द्वारा अनुमति प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधन का होगा।

- संस्था में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विचार-विमर्श के अनुसार फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा बांझित सूचनाओं का समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपयुक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता सम्बन्धी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की द्रुति शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान को होगा।
 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 7. संस्थान 10 अक्टूबर, 2022 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उरी अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुसार अपेक्षित संख्या में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा वेतन के सम्बन्धित समस्त अगिलेखा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटसाइज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई द्रुति कृत रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अतिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की रवीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2022-23 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
- सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम 6.15)
10. सत्र 2022-23 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
 11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करे। (विनियम 6.18)
 12. शैक्षिक एवं शिक्षण स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम 6.25वी.)
 13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.13)
 14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.16)
 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
 16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पीसीआईटी/सीआईटी (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याखीन करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
 17. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर की विद्याओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विद्याओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवस्थापक संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2022-23 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आदूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय का अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2022-23 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम शिक्षण में न ले सकेगा। काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रवचकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औद्योगिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और तत्काल औद्योगिक निरीक्षण निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 19. जिन संस्थानों की अग्रतशिष/पीसीआईटी/सीआईटी एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तत्काल कार्यवाही के अन्तर्गत समाप्त होगी।
 20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत श्रेणी/अपेक्षाओं का

संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों को अवहेलना की जाती है तो संस्थाओं में उचित विवेचना समझ करने की कार्यवाही की जाएगी।

संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से सही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण के द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/दोषेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता का करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जाएगी।

23 विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान को शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनें भवे तमिली का सुनिश्चित करवाना संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल कार्यभार करने सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया आवश्यक होगा।

24 विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में प्रयोजित छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों प्रयोजित छात्रों की न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थाओं की स्वीकृत प्रवेश सामान का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धता 2022-23 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता जारी करना के पूर्व इस न्यूनतावित करने या संशोधित करने विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

25 पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित समता की गुणता सम्बद्धता विवरण की तालिका के सारग 5 या 6 (अथवा जहाँ) को प्राप्त करने की जा सकती है।

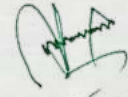
उपरोक्त सर्तों के अनुपालन में विफल अथवा संस्था के अधिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई पायी जाने की स्थिति में संस्था का सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकर्ता का होगा।

Mir
23/9/22
(Dr. Rajeev Kumar Singh)
उप कुलाधिपति

प्रशासन संस्था व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति/ श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजगवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. चार्ज ऑफिस।



Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



APPROVAL LETTER FROM AICTE (2018-23)



Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2018-19

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2018-19

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-3511963542/2018/EOA

Date: 10-Apr-2018

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2018-19

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2018-19

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and amended on December 5, 2017 and norms standards procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-6060126	Application Id	1-3511963542
Name of the Institute	ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
Institute Address	PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern
Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site	No	Change of Site Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2018-19	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status	Foreign Collaboration /Twining Program Approval Status*
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	Foreign, Approved NA
ENGINEERING	1st	UNDER	ELECTRICAL AND	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam	60	NA	NA	Foreign, Approved NA

Application No:1-3511963542

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : ae919401

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Page 1 of 3

Letter Printed On: 26 April 2018

AND TECHNOLOGY		GRADUATE	ELECTRONICS ENGINEERING		Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow				Foreign Approved NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS AND COMMUNICATION S ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	Foreign Approved NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	Foreign Approved NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	Foreign Approved NA
MANAGEMENT	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	Foreign Approved NA
MCA	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	Foreign Approved NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA	Foreign Approved

+FT –Full Time,PT-Part Time
Punitive Action against the Institute

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. A.P Mittal
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
2. The Director Of Technical Education**,
Uttar Pradesh
3. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Principal / Director,
ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III,
GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,
Uttar Pradesh,201306
5. The Secretary / Chairman,
ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD,
GHAZIABAD,GHAZIABAD,
Uttar Pradesh,201301

Application No:1-3511963542

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.
Printed By : ae919401


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Page 2 of 3

Letter Printed On:26 April 2019

6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.



Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2019-20

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2019-20

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-4266962533/2019/EOA

Date: 29-Apr-2019

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2019-20

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2019-20

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2018 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-6060126	Application Id	1-4266962533
Name of the Institute	ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
Institute Address	PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site/Location	No	Change of Site/Location Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA
Opted for Merger of Institution	No	Merger of Institution Approved or Not	NA
Opted for Introduction of New Program/Level	No	Introduction of Program/Level Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2019-20	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING	1st	UNDER		FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam	180	NA	NA

Application No:1-4266962533

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.
Printed By : ae919401

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Page 1 of 3

Letter Printed On: 1 May 2019

AND TECHNOLOGY		GRADUA TE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING		Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow			
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	ELECTRONICS AND COMMUNICATIO NS ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	NA	NA
MANAGEMENT	1st	POST GRADUA TE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATIO N	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
MCA	1st	POST GRADUA TE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA

+FT –Full Time,PT-Part Time

Punitive Action against the Institute

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APH 2019-20(appendix 6)

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutes and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2019-20 without affecting the percentage reservations of SC/ST/OBC/General . However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof. A.P Mittal
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh

Application No:1-4266962533

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : ae919401

Page 2 of 3

Letter Printed On: 1 May 2019


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

2. **The Registrar**.**
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. **The Principal / Director,**
Accurate Institute Of Management & Technology
Plot No. 49, Knowledge Park-III,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201306
4. **The Secretary / Chairman,**
Accurate Education & Research Society
C-187, Surya Nagar, Ghaziabad.
Ghaziabad, Ghaziabad,
Uttar Pradesh, 201301
5. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2020-21

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2020-21 Extension of Approval (EOA) - Corrigendum

F.No. Northern/1-7002478224/2020/EOA/ Corrigendum-2

Date: 31-Jul-2020

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2020-21

EOA Issued on	F.No. Northern/1-7002478224/2020/EOA	15-Jun-2020
Corrigendum 1	F.No. Northern/1-7002478224/2020/EOA /Corrigendum-1	21-Jul-2020
Corrigendum 2	F.No. Northern/1-7002478224/2020/EOA /Corrigendum-2	31-Jul-2020

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

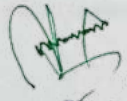
Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-6060126	Application Id	1-7002478224
Name of the Institution	ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
Institution Address	PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Uttar Pradesh, 201301
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	240	NA	NA


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Application No: 1-7002478224

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Page 1 of 3

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required

Letter Printed On 24 September 2020

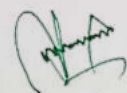
Printed By : ae919401

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	30	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
MCA	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. **Corrigendum for-**
 1. Merger of 2nd Shift Course into Regular Course
 2. Merger of 2nd Shift Course into Regular Course
2. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21
3. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.



Director

Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Page 2 of 3

Application No:1-7002478224

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Printed By : ae919401

Letter Printed On 24 September
2020

4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**
2. **The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow**
3. **The Principal / Director,
ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Plot No. 49, Knowledge Park-Iii,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201306**
4. **The Secretary / Chairman,
C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD
GHAZIABAD, GHAZIABAD
Uttar Pradesh, 201301**
5. **The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh**
6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2021-22

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-nde.org



APPROVAL PROCESS 2021-22

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-9322099098/2021/EOA

Date: 25-Jun-2021

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2021 Notified on 4th February, 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-6060126	Application Id	1-9322099098
Name of the Institution /University	ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
Institution /University Address	PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Uttar Pradesh, 201301
Institution /University Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Programs / Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2021-22

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2020-21	Intake Approved for 2021-22	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	240	240	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Application No: 1-9322099098

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.
Printed By : ae919401

Page 1 of 3

Letter Printed On 5 July 2021

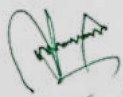
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
MCA	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2021-22 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2021-22 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty. Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Copy ** to:


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

1. The Director of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Plot No. 49, Knowledge Park-Iii,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201306
4. The Secretary / Chairman,
C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD
GHAZIABAD, GHAZIABAD
Uttar Pradesh, 201301
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida



ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India & Affiliated
to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow



2022-23

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2022-23

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-10970170687/2022/EOA

Date: 03-Jun-2022

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2022 Notified on 4th February, 2022 and amended on 24th February 2022 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-6060126	Application Id	1-10970170687
Name of the Institution	ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ACCURATE EDUCATION & RESEARCH SOCIETY
Institution Address	PLOT NO. 49, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Uttar Pradesh, 201301
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	2006		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	240	240	NA	NA

Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Application No: 1-10970170687

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: ae919401

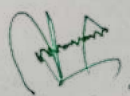
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Page 1 of 4

Letter Printed On: 9 July 2022

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
POST GRADUATE	MCA	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2022-23 (Appendix 6)



Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC (NCL)/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE beginning with the Academic Year 2022-23
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as Approval Process Handbook and provisions made in AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Pharmacy Institute: In compliance with the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy Programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per the respective regulatory body (PCI). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by PCI, the approval of PCI shall prevail.

Architecture Institute: In compliance with the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per respective regulatory body (CoA). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by CoA, the approval of CoA shall prevail.

Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Plot No. 49, Knowledge Park-III,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201306
4. The Secretary / Chairman,
C-187, SURYA NAGAR, GHAZIABAD
GHAZIABAD, GHAZIABAD
Uttar Pradesh, 201301
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus


Director
Accurate Institute of Management & Technology
Greater Noida